संख्या– 34 /V-2/21–10(आ०)/2020

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्र0), उत्तराखण्ड शासन।
2– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3– उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
4– उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
5– संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 07 जनवरी, 2022।

विषयः मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया सरलीकरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (संशोधन), 2015 (यथा समय–समय पर संशोधित उपविधियों) के अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हेतु संबंधित विकास प्राधिकरणों से मानचित्र स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का प्राविधान भी इन उपविधियों में किया गया है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार के अनापत्ति प्रदान करने वाले विभागों से अनापत्ति प्रदान करने में अत्यधिक समय लगने के कारण आम जन एवं विभिन्न संस्थाओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

2– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया को सरल किये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(1) सम्बन्धित प्राधिकरण के प्राधिकृत अभियंता द्वारा यह निर्धारित किया जायेगा कि किन विभागों की अनापत्ति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

(2) प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्ति के पश्चात् सम्बन्धित विभाग, जिनसे अनापत्ति अपेक्षित है, ऑन–लाईन अथवा ऑफलाइन सूचना प्रेषित की जायेगी। ऑफलाइन भेजे जाने की दशा में सूचना ई–मेल के माध्यम से भी सक्षम अधिकारी/नोडल अधिकारी को भेजी जायेगी।

(3) एकल आवासीय प्रकरणों हेतु 12 दिवसों में तथा गैर आवासीय प्रकरणों हेतु 25 दिवसों में संबंधित विभागों द्वारा प्राधिकरणों को अनापत्ति आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेगी।

(4) विभागों द्वारा तय समयावधि में अनापत्ति/कोई उत्तर न दिये जाने की स्थिति में, विभाग की डीम्ड अनापत्ति मानी जायेगी तथा आवेदक का मानचित्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
पत्र क्रमांक सं0 1703
दि0 12.01.22
देहरादून

EE JCA AG 14/01/22 EE 15/1/22 AE 15/1/2022

(5) प्राधिकरणों द्वारा एकल आवासीय भवनों हेतु 15 दिवस में तथा व्यावसायिक भवनों हेतु 30 दिवसों की अवधि में मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया आवश्यक रूप से पूर्ण की जायेगी।

(6) निर्धारित समयावधि में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति/कोई उत्तर प्रेषित न किये जाने से यदि कोई मुद्दा/तथ्य/प्रकरण प्रकट होता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा।

3– उक्तानुसार सभी सम्बन्धित विभाग/विकास प्राधिकरण, तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या– /V-2/20–10 (आ०)/20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।